न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री मोगजी पिता लालू भील वगैरह **बनाम** श्री कालूराम पिता लालू भील वगैरह

पत्रावली संख्या–28/2023

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनायें जारी की गई
	दिनांक 31.12.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण गांव गुन्दीघाटा तहसील झौंथरीपाल के स्थायी निवासी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के संयुक्त खाते की आराजी मौजा गुन्दीघाटा में खाता सं. 165 खसरा सं. 2152 खेत किता 1, कुल रकबा 0.1213 हैक्ट. में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार खाता सं. 129 खसरा सं. 2128, 2129, 2151, 2324, 2399, 2413 से 2421, 2478, 2480 से 2483, 2577, 2578, 2579, 2632, 2633, 2641, 2677/2637 खेत किता 26 कुल रकबा 5.2574 हैक्ट. होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार मौखिक बंटवारे में आयी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने से 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण अपने हिस्से में काश्त कर रहे थे उसी समय अप्रार्थी संख्या 1 कालूराम अन्य व्यक्तियों को लेकर मौके पर आया और प्रार्थीगण के मकान के पास स्थित आराजी को बेचान करने की बात करने लगा, जिसपर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से कहा कि उक्त जमीन का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे में कोई भी हिस्सा बेचान मत करना। तेरे कोई विधिक वारिसान नहीं है। उक्त आराजी का जबतक विधिक बंटवारा नहीं होता तब तक बेचान मत कर एवं बेचान करना हो तो सहखातेदारों को बेचान करना। जिसपर अप्रार्थी सं. 1 लडाई झगड़ा करने लगा। प्रार्थीगण ने बंटवारा की बात कही तो अप्रार्थी सं. 1 ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया एवं कहा कि मैने तो विक्रय पत्र सम्पादित करवा दिया है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि विधिक बंटवारा हो जाने तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की मौजा गुन्दीघाटा में खाता सं. 165 खसरा सं. 2152 खेत किता 1, कुल रकबा 0.1213 हैक्ट. में हिस्सा होकर स्थित है। इसी प्रकार खाता सं. 129 खसरा सं. 2128, 2129, 2151, 2324, 2399, 2413 से 2421, 2478, 2480 से 2483, 2577, 2578, 2579, 2632, 2633, 2641, 2677/2637 खेत किता 26 कुल रकबा 5.2574 हैक्ट. को अप्रार्थीगण बेचान, बक्षीस, वसीयत एवं अन्य को हस्तांतरण नहीं करे। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी में काश्त करने में रूकावट अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार मजदूरों से करावें। अप्रार्थीगण की ओर से वकील ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीगण ने बहस नहीं करना चाहा। वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के समस्त खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। समस्त खातेदारों को सुने बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायोचित नहीं होगा। ऐसे में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से विधिक बंटवारे हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होवे। **उपखण्ड अधिकारी** **सीमलवाड़ा**	